

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 संत्र

## कैनिक विधार्य सूची

बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 (कार्तिक 22, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रस्तुति

पृथक्कल: विलिल सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. नियम 138 (1) के आधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वीश्वी नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, नरोलम मिश्रा, सदस्य, शिवपुरी जिले में भूख के कारण जहरीली बनस्पति खाने से आदिवासियों की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अजय मिठोई, सुशी कुमार सिंह, श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, जबलपुर नगर में मौदागी के कारण माहात्मा का प्रक्षेप फैलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री बाबूलाल गौर, सभापति, लोक लेखा समिति का 235 वाँ से 253 वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भगवत शिंह पटेल, सदस्य, याकोन जिले के याम जामगढ़ स्थित नहर पर बना निष्ट प्रयोग सम्बन्ध कराये जाने, एवं

(2) श्री अर्पिंदेश मरायी, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) याम बंधवाटोला, पटवरिहा, घोटा ठोला एवं लखोनीपानी में विद्युतीकरण

कराये जाने; तथा

(ख) याम कोठी में कन्या हाईस्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे।

### 5. प्रावक्कलन समिति में रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“सभा के सदस्याण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 223 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीत से विशेष वर्ष 2002-2003 की शेष अवधि के लिये प्रावक्कलन समिति के सदस्य होने के दिये अपने में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों।”

### 6. जबाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन।

श्री महेन्द्र शिंह, कुशि मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“यह सभा, उस रीति से जैसी अधिक महोदय निर्दिष्ट करे, जबाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (कार्यालय 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नी) की अपेक्षानुसार जबाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अप्रसर हो।”

निर्धारित  
समय

1 घन्टा

### 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिवाई (संशोधन) विधेयक, 2002 (कार्यालय 23 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 8. नियम 139 के आधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

पदेश में विद्युत लंकट तथा कुशकों को विद्युत विद्युत जिले जाने से उत्पन्न लियति के संबंध में सर्वीश्वी कमल पटेल, हरीशकर जायसवाल (हरि धौपा) नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, कैलाल विजयवर्गीय, राजेन्द्र भारती (दतिया), लक्ष्मीकांत शर्मा, कुवर विजय शाह, सर्वीश्वी रसाल सिंह, हिम्मल कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, राव देशराज सिंह यादव तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चार्चा उठायेंगे।

### 9. प्रतिवेदनों पर चर्चा

मध्यप्रदेश विभाग वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा।

भोपाल :  
दिनांक : 12 नवम्बर, 2002

डॉ. प. के. पवारी

शास्त्री

मध्यप्रदेश विधान सभा.